छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग

****

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

***

(वर्ष 2004 से 2005)

(दिनांक 01.01.2004 से 31.12.2004)

:: विषय वस्तु ::

प्रस्तावना

1. विभाग की प्रशासनिक संरचना

2. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

3. न्याय प्रशासन उच्च न्यायालय, बिलासपुर

   3.1 :– उच्च न्यायालय भवन निर्माण
   3.2 :– केन्द्र प्रवर्तित योजना
   3.3 :– फास्ट ट्रेक कोर्ट
   3.4 :– परिवार न्यायालय
   3.5 :– वर्ष 2004–05 के लिए बजट प्रावधान
   3.6 :– केन्द्र प्रवर्तित योजना निर्माण कार्य
   3.7 :– गरीबों के लिए विधिक सहायता /सलाह

4. सिविल जिलों का निर्माण

5. विधिक सेवा प्राधिकरण

6. शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक

7. नोटरी

8. उच्चतम न्यायालय में स्टेन्डिंग कौंसिल

9. महाधिवक्ता कार्यालय में कार्यरत विधि अधिकारी

10. विभाग की महत्वपूर्ण शाखाओं द्वारा संपादित कार्य

11. सारांश

12. भविष्य की योजनाएं

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

::: **प्रस्तावना** :::

नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य अपने उदय के साथ ही नव निर्माण, प्रगति और खुशहाल राज्य की दिशा में उत्तरोक्त प्रगति की ओर अग्रेतर है । विगत वर्षो में छत्तीसगढ़ राज्य को पूर्ण स्वावलंबी बनाने के लिए तथा राज्य के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और समानता के अवसर प्राप्त कराने हेतु सभी कटिबद्व है । राज्य के नागरिकों में उनकी गरिमा और राज्य की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए सभी कृत संकल्प होकर कार्यरत है ।

हमारा उद्देश्य, विधि निर्माण एवं कानून के अनुसार प्रदेश का कार्य संचालन राज्य में उच्चतर विधि शिक्षा, कमजोर वर्ग के लोगों को विधिक सहायता, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग हेतु विशेष न्यायालयों का गठन, परिवारिक विवादों के निपटारे हेतु परिवार न्यायालयों का गठन एवं प्रदेश में न्याय प्रशासन के कार्य में उत्तरोत्तर प्रगति लाना है ।

वर्ष 2004–2005 का विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है ।

(टी0 पी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,विधि और विधायी कार्य विभाग

1. विभाग की प्रशासनिक संरचना :–

यह विभाग सामान्यतः मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के अधीन रहता है तथा इस विभाग के प्रमुख सचिव उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी है ।

वर्तमान में विभाग के सारसाधक मंत्री तथा अन्य अधिकारी निम्नानुसार है :–

कमांक	नाम	पद
1.	माननीय श्री ननकीराम कंवर	विधिमंत्री
2.	श्री टी0 पी0 शर्मा	प्रमुख सचिव
3.	श्री महेन्द्र कुमार तिवारी	अतिरिक्त सचिव
4.	श्री महेन्द्र राठौर	उपसचिव
5.	श्री ए0 के0 गोयल	उपसचिव
6.	श्रीमती विमला सिंह कपूर	उपसचिव

कमश...2..

2.– विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :–

:: विवरण ::

1. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958
2. न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870
3. लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1949
4. वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887
5. दण्ड प्रकिया संहिता, 1973

6. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
7. हिन्दू अव्यस्कता अभिभावकत्व अधिनियम, 1956
8. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
9. हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, 1956
10. विशेष विवाह अधिनियम,1954
11. पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936
12. विशेष विवाह अधिनियम, 1869
13. विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869
14. मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939
15. धर्मान्तरिती विवाह विच्छेद अधिनियम, 1866
16. ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
17 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
18 संपत्ति हस्तातंरण अधिनियम, 1872
19. संविदा अधिनियम, 1872
20 भगिता अधिनियम, 1932
21. विनिर्दिष्ट सहायता (स्पेसिफिक रिलीफ) अधिनियम, 1963
22. प्रान्तीय शोध क्षमता अधिनियम, 1920
23. न्याय अधिनियम, 1882
24 शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913
25. महाप्रशासक अधिनियम, 1963
26. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
27 शपथ अधिनियम, 1969
28. सिविल प्रकिया संहिता, 1908
29 अधिवक्ता अधिनियम, 1961
30. नोटरीज अधिनियम, 1952
31. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971
32. दण्ड प्रकिया संहिता 1973
33 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932
34 पंचाट (आर्बिट्रेशन) अधिनियम, 1940
35. परिसीमा अधिनियम, 1963
36. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
37. छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2001
38. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983

कमशः....2—ए.

3. <u>न्याय प्रशासन</u> :—

3.1 उच्च न्यायालय भवन निर्माण :—

उच्च न्यायालय भवन निर्माण, बिलासपुर हेतु प्रस्तावित किया गया है । पूर्व में उच्च न्यायालय भवन हेतु रुपये 8.52 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया गया था । ततपश्चात आवश्यक संशोधन उपरांत रुपये 30.00 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति इस विभाग के पत्र कमांक 1350 दिनांक 13.04.04 के माध्यम से दिया गया, साथ ही उच्च न्यायालय के अधिकारियों के आवासीय परिसर निर्माण के लिए 30.00 करोड़ की सैध्दांतिक स्वीकृति दिया

गया । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुपूरक बजट में रुपये 1.00 करोड़ प्रावधानित है ।

3.2 केन्द्र प्रवर्तित योजना :–

इस योजनान्तर्गत न्याय प्रशासन अधोसंरचना सुविधा हेतु न्यायालय भवन एवं आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाता है । इस योजनात्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि 50 : 50 अनुपात में केन्द्रांश एवं राज्यांश के रुप में प्राप्त होता है । योजना प्रारंभ से दिनांक 31.12.04 तक रु0 17.329 करोड़ का आवंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश के रुप में प्राप्त हुआ है जिसके विरुद्व रुपये 7.6082 करोड़ व्यय किया गया है । वित्तीय वर्ष 2004–05 में रुपये 1.95 करोड़ व्यय किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2004–05 में न्यायालयीन भवन कार्य निर्माण हेतु रुपये 9.07,77 करोड़ का बजट प्रावधान है एवं वर्ष में निम्न कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी किया गया है :–

1.	उच्च न्यायालय भवन निर्माण	:	रु0 3000.00 लाख
2.	जिला न्यायालय भवन,रायपुर		रु0 28.18 लाख
3.	जिला न्यायालय दुर्ग में 9 अतिरिक्त कक्ष निर्माण	:	रु0 168.28 लाख
4.	जिला न्यायालय भवन राजनांदगांव में अभिलेखागार निर्माण	:	रु0 9.234 लाख
5.	जिला न्यायालय भवन जशपुर नगर	:	रु0 169.325 लाख
6.	व्यवहार न्यायालय भवन निर्माण चौकी	:	रु0 23.98 लाख

इसी प्रकार आवासीय भवनों के निर्माण हेतु रु0 214.19 का बजट प्रावधान है एवं निम्न आवास गृह निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी किया गया है :–

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु 4 ए टाईप आवासगृह का निर्माण	:	रु0 282.15 लाख
2. जशपुर में न्यायाधीशों के आवासगृह का निर्माण	:	रु0 38.64 लाख

कमश....3...

3. नारायणपुर जिला बस्तर में एक नग एफ टाइप आवास गृह का निर्माण	:	रु0 5.11 लाख
4. दुर्ग में न्यायाधीशों के लिए 2 डी टाईप आवासगृह का निर्माण	:	रु0 20.80 लाख
5. पेण्ड्रारोड में न्यायाधीश हेतु एक नग डी टाईप आवास गृह का निर्माण	:	रु0 7.62 लाख

3.2. फास्ट ट्रेक कोर्ट :—

राज्य में ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार 31 फास्ट ट्रेक कोर्ट कार्य कर रहे है जिसके लिए 5 वर्षो हेतु रु0 879.00 लाख भारत सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाऐगा कुल प्रावधानित राशि का 90 प्रतिशत अर्थात 791.00 लाख रुपये उपलब्ध कराया जा चुका है ।

उक्त आवंटन से फास्ट ट्रेक कोर्ट भवन निर्माण हेतु रुपये 149.86 लाख का आवंटन लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराया गया है शेष आवंटन का उपयोग फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना मद में किया जा रहा है जिसके विरुद्व दि0 31.12.04 तक रु0 460.13 लाख व्यय किया गया है ।

3.4 परिवार न्यायालयः—

राज्य में परिवार न्यायालय स्थापित किये जाने का कार्य प्रगति पर है । राज्य में 6 परिवार न्यायालय प्रारंभ किये जाना है जिसके लिए केन्द्र शासन को आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है ।

3.5 वर्ष 2004—05 के लिए बजट प्रावधान :—

1.	उच्च न्यायालय हेतु	रु0 41350000
2.	न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान हेतु	रु0 9500000
3.	सिविल एवं सत्र न्यायालय हेतु	रु0 263370000
4.	दण्ड न्यायालय हेतु	रु0 575000
5.	परिवार न्यायालय हेतु	रु0 19150000
6	ग्राम न्यायालय हेतु	रु0 100000
7	महाधिवक्ता हेतु	रु0 7195000
8	मुफस्सिल स्थापना हेतु	रु0 10759000
9	अधिवक्ता संघ पुस्तकालय हेतु	रु0 500000

कमश...4..

10	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को अनुदान	रु0 2000000
11	राज्य विधिक सेवा हेतु अनुदान	रु0 4600000
12	विशेष न्यायालय हेतु	रु0 9895000
13	विधि सचिवालय हेतु	रु0 90150000
14	माध्यस्थम अधिकरण हेतु	रु0 2450000

3.6 केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत निर्माण कार्य :—

इस योजनान्तर्गत राज्य में मुख्यतः निम्नानुसार निर्माण कार्य कराये जा रहे है ।

1. उच्च न्यायालय भवन में 5 अतिरिक्त कोर्ट का निर्माण रु0 82.87 लाख
2. उच्च न्यायालय भवन में हॉल एवं लायब्रेरी का निर्माण रु0 26.38 लाख
3. जशपुर जिला कोरिया में न्यायालय भवन का निर्माण रु0 55.78 लाख
4 रायगढ़ में दो डी टाईप आवास का निर्माण रु0 15.28 लाख
5. कवर्धा में जिला न्यायालय भवन का निर्माण रु0 191.17 लाख
6 बेमेतरा में एक जी0, पांच एच0 एवं 4 आई0 टाईप आवासगृहो का निर्माण रु0 1923 लाख
7 राजनांदगांव में एक डी एवं 2 ई0 व 2 एफ टाईप दो जी टाइप आवासगृह का निर्माण रु0 45.00 लाख
8 जगदलपुर में एक जी टाईप 8 एच टाईप एवं 3 आई टाईप आवासगृहो का निर्माण रु0 21.38 लाख
9 रायपुर में परिवार न्यायालय के न्यायाधीश हेतु एक एफ टाईप आवासगृह का निर्माण रु0 5.00 लाख
10 जांजगीर में एक ई0 टाईप, 2 एफ एवं 1 जी टाईप आवासगृह का निर्माण रु 19.69 लाख
11 कटघोरा जिला कोरबा में जिला न्यायालय भवन का निर्माण रु0 10.01 लाख
12 रायपुर में परिवार न्यायालय के लिए भवन निर्माण रु0 15.00 लाख
13 जशपुर में 2 जी, 9 एच,8 आई टाइप आवासगृहो का निर्माण रु0 40.01 लाख
14 खैरागढ़ जिला राजनांदगांव में 3 जी, 7 एच. एवं 5 आई टाइप आवासगृह का निर्माण रु0 33.80 लाख
15 डोंगरगढ जिला राजनांदगांव में 1 जी, 4 एच एवं 2 आई टाईप आवासगृह का निर्माण रु0 15.65 लाख

कमश...5

16 बलौद जिला दुर्ग में 1 जी, 5 एच, एवं 5 आई टाईप आवासगृहो का निर्माण रु0 22.76 लाख
17 पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर में 1 ई0, 1 एफ टाइप आवासगृह का निर्माण रु0 12.54 लाख
18 उच्च न्यायालय भवन निर्माण रु0 3000.00 लाख
19 जिला न्यायालय भवन रायपुर रु0 28.18 लाख
20 जिला न्यायालय भवन जशपुर नगर रु0 169.535 लाख

21	9 अतिरिक्त न्यायालय कक्ष निर्माण दुर्ग	रु0 168.98 लाख
22	जिला न्यायालय भवन राजनांदगांव में अभिलेखागार निर्माण	रु0 9.234 लाख
23	व्यवहार न्यायालय भवन चौकी	रु0 23.98 लाख
24	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु 4 ए टाइप आवासगृह निर्माण	रु0 232.15 लाख
25	जशपुर में न्यायाधीशों के लिए आवासगृह का निर्माण	रु0 38.64 लाख
26	नारायणपुर ,जिला बस्तर में 1 नग एफ टाईप आवासगृह का निर्माण	रु0 5.11 लाख
27	दुर्ग में न्यायाधीशों के लिए 2 नग डी टाईप आवासगृहो का निर्माण	रु0 20.80 लाख
28	पेण्ड्रारोड में न्यायाधीश हेतु एक डी टाईप आवासगृह का निर्माण	रु0 7.62 लाख

3.7 गरीबों को विधिक सहायता/सलाह :–

इस योजना के अंतर्गत निर्धन लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2004 – 05 में 15.50 लाख रुपये प्रावधानित है एवं दि0 13.12.04 तक रुपये 13.50 लाख रुपय व्यय किया गया है । कुल 1476 लाभांन्वितों को विधिक सहायता उपलब्ध कराया गया जिसकी जानकारी निम्नानुसार है :–

1.	सामान्य / पिछडा वर्ग	:	1955
2.	अनु0जनजाति	:	715
3	अनु0जाति	:	386

			योगः–2476

कमश...6

3.8 मान0 उच्च न्यायालय,बिलासपुर एवं अधीनस्थ जिला एवं सत्र न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालयों में दि0 1.1.04 से 31.12.04 तक लंबित एवं निराकृत प्रकरणों की स्थिति इस प्रकार है :–

कमांक	न्यायालय का नाम	पूर्व वर्ष के लंबित	वर्ष में संस्थित	निराकृत	वर्ष के

		प्रकरण	प्रकरण	प्रकरण	अंत में लंबित प्रकरण
1	2	3	4	5	6
1	उच्च न्यायालय,बिलासपुर	51796	22985	11049	63732
	जिला/ अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा व्यवहार न्यायालय वर्ग–एक एवं दो के न्यायालयों में लंबित एवं संस्थित प्रकरण	44554सिविल 181261आपराधिक	131091सिविल 74413आपराधिक	112781सि0 66561आप0	44964सि0 180113आप0

4. सिविल जिलो का निर्माण :–

छत्तीसगढ राज्य में न्याय प्रशासन के उन्नयन की दिशा में कदम उठाते हुए राजस्व जिला कबीरधाम कवर्धा एवं कोरबा को सिविल जिला बनाया गया है एवं इस संबध में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है ।

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के 61 पदों पर भर्ती के संबंध में छ0ग0 उच्च न्यायालय के प्रस्तावानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की कार्यवाही की जा रही है ।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियमों में धारा 5 एवं 9 के संबंध में संशोधन किया गया है ।

कमशः..7...

5. विधिक सेवा प्राधिकरण :–

विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य उत्तरोत्तर प्रगति पर है । दिनांक 1.4.04 से 31.12.04 तक की अवधि में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत लोक अदालतों में कुल 5768 प्रकरण प्राप्त हुए एवं 1426 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा लोक अदालतों के माध्यम से लाभान्वितों की संख्या 3634 रही ।

राज्य में विधिक साक्षरता शिविर भी लगाये गये तथा वर्ष में कुल 42 विधिक साक्षरता केम्पों के माध्यम से 11353 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया । वर्ष 2004–05 में निम्नानुसार वर्गो को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई :'–

1. सामान्य	:—	602
2. पिछडावर्ग	:—	1230
3. अनुसूचित जाति	:—	444
4. अनु0जनजाति	:—	432

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार योजनाऐं संचालित की जा रही है :—

1. विधिक सेवा योजना
2. लोक अदालत योजना
3. विधिक साक्षरता शिविर योजना
4. विधिक प्रचार—प्रसार योजना
5 विवाद नियोजन योजना
6.पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना
7 मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता, अधिवक्ता योजना
8.विवाद विहीन ग्राम योजना
9.जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना
10.कारागार परिसर में विधिक सेवा केन्द्र योजना
11.सेवानिवृत्त पश्चात परिलब्धियों की प्राप्ति हेतु पेंशन लोक अदालत योजनाण

राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण के नियमों में नियम 5 एवं 9 में इस आशय का संशोधन किया गया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति महामहिम राज्यपाल महो0 के प्रसाद पर्यन्त होगी ।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें दीन—हीन गरीबों तथा अनुसूचित जाति तथा जनजातियां के व्यक्तियों को कानूनी सहायता पहुंचना तथा उन्हे उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करते हुए शासन की योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचना प्रमुख ध्येय है ।

6. शासकीय/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों की नियुक्ति :—

राज्य के न्यायालयों में शासन की ओर से पक्ष समर्थन किये जाने हेतु दि0 1.1.04 से 31.12.04 तक नियमित न्यायालय शासकीय अधिवक्ता 10, अतिरिक्त शास0अधिवक्ता 29 एवं फास्ट ट्रेक कोर्ट में 17 शासकीय/अति0शासकीय अभिभाषक /विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किये गये है ।

कमश...8...

7. नोटरी :— छत्तीसगढ़ राज्य में 52 अधिवक्ताओं को नोटरी के रुप में कार्य करने हेतु लाइसेंस प्रदान किये गये है ।

8. स्टेन्डिंग कौंसिल :— उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में श्रीमती सुर्पणा श्रीवास्तव, को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया है एवं अतिरिक्त स्टेन्डिंग कौंसिल श्री अतुल झा को भी छ0ग0शासन की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया है ।

9 महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में कार्यरत विधि अधिकारीगण :–

महाधिवक्ता के महत्वपूर्ण पद पर श्री रवीश चंद्र अग्रवाल को छ0ग0 राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है ।

महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में निम्नानुसार विधि पदाधिकारी कार्यरत है :–

कमांक	नाम	पदनाम
1	श्री रवीश चंद्र अग्रवाल	महाधिवक्ता
2	श्री प्रमोद कुमार वर्मा	अति0महाधिवक्ता
3	श्री प्रशांत मिश्रा	अति0महाधिवक्ता
4	श्री नवलकिशोर अग्रवाल	उपमहाधिवक्ता
5	श्री व्ही0व्ही0एस0मूर्ति	उपमहाधिवक्ता
6	श्री विनोद श्रीवास्तव	शास0अधिवक्ता
7	श्री अशीष शुक्ला	शास0अधिवक्ता
8	श्री जयदत्त बाजपेयी	शास0अधिवक्ता
9	श्री यू0एन0एस0देव	शास0अधिवक्ता
10	श्री यशबंत सिंह ठाकुर	शास0अधिवक्ता
11	श्री संजय श्याम अग्रवाल	शास0अधिवक्ता
12	श्री दशरथ गुप्ता	शास0अधिवक्ता
13	श्री सतीश गुप्ता	उप–शास0अधिवक्ता
14	कु0निरुपमा बाजपेयी	उप–शास0अधिवक्ता
15	श्री मुकेश बजाज	उप–शास0अधिवक्ता

9.1 स्टेन्डिंग कौंसिल म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर :–

1.	श्री अजय ओझा	स्टेन्डिंग कौंसिल(उ0न्या0 के प्रकरणों के साथ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का कार्य भी देखेगें)

कमशः...9...

10 विधि विभाग द्वारा विभिन्न शाखाओं द्वारा निपटाया गया कार्य :–

विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत अनेक शाखाऐं कार्यरत है विभाग की महत्वपूर्ण शाखाओं द्वारा निपटाये गये कार्य का प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

1. विधीक्षा शाखा :– विधीक्षा शाखा में प्रत्यायोजित विधान से संबंधित कार्य होता है इसके अंतर्गत शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त नियमों अधिसूचनाओं, आदेशों, उपविधियों एवं विनियमों का प्रारुप

का परिमार्जन किया जाता है । शाखा में वर्ष 2004 में 212 प्रकरण प्राप्त हुए जिनका निराकरण किया जाकर संबंधित विभागों को वापस लौटाये गये ।

2. मत शाखा :— मत शाखा में शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रकरणों में विधिक मत व्यक्त किया जाता है । मत शाखा में जनवरी 2004 से 31 दिसम्बर 2004 तक कुल 270 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनका निराकरण कर प्रकरण संबंधित विभागों को वापस लौटाये गये ।

3. प्रारुपण शाखा :— प्रारुपण शाखा द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त विधेयक, अधिनियम एवं अध्यादेशो के प्रारुपो का परिमार्जन किया जाता है । प्रारुपण शाखा में जनवरी 2004 से 31 दिसम्बर तक 316 प्रकरण प्राप्त हुए जिनका निराकरण किया गया । इनमें विधेयक एवं अध्यादेशों की जानकारी इस प्रकार है :—

अधिनियम	:—	26
अध्यादेश	:—	6

4. अनुवाद शाखा :— अनुवाद शाखा द्वारा विभागों से प्राप्त विधेयक, अधिनियम एवं अध्यादेशों के हिन्दी विधायन का कार्य संपादित होता है तथा विभागों से प्राप्त नियम उपनियम आदेश,अधिसूचना आदि के हिन्दी प्रारुप के परिमार्जन का कार्य किया जाता है ।अनुवाद शाखा में जनवरी 2004 से दिसम्बर 2004 तक कुल 274 प्रकरण का निराकरण हेतु प्राप्त हुए । जो समुचित कार्यवाही पश्चात् विभागों को वापस लौटा दिये गये ।

5 स्थापना शाखा स्थापना शाखा में विधि विभाग महाधिवक्ता कार्यालय के अधिकारियों /कर्मचारियों से संबंधित कार्य किया जाता है । शाखा में वर्षान्त तक कुल 1182 पत्र आदि प्राप्त हुए जिनका निराकरण किया गया ।

कमश....10...

6 याचिका/आपराधिक/अभियोजन/सिविल शाखा :— विभाग की इन शाखाओं में प्राप्त प्रकरणों तथा निराकृत प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है ।

याचिका शाखा	प्राप्त प्रकरण	1845
	निराकृत प्रकरण	1845
	लंबित प्रकरण	निरंक
आपराधिक शाखा	प्राप्त प्रकरण	338
	निराकृत प्रकरण	338
	लंबित प्रकरण	निरंक

सिविल शाखा	प्राप्त प्रकरण	246
	निराकृत प्रकरण	246
	लंबित प्रकरण	निरंक
अभियोजन शाखा	प्राप्त प्रकरण	472
	निराकृत प्रकरण	472
	लंबित प्रकरण	निरंक

11. सारांश :— छत्तीसगढ राज्य में सचिवालयीन विभागों में सम्मिलित विधि विभाग सचिवालय का एक महत्वपूर्ण अंग है विधि विभाग द्वारा न्याय प्रशासन के उन्नयन, राज्य में आवश्यकता अनुसार विधि का निर्माण तथा शासन के विरुद्व न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों मे समुचित रुप से राज्य शासन का पक्ष समर्थन का कार्य प्रमुखता से संपादित किया जाता है । विधि और विधायी कार्य विभाग का कार्य, विभाग की विधि नियमावली में उल्लेखित विधि अनुसार होता है । संक्षेप में यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण न होगा कि विधि विभाग द्वारा अपने कार्यो का निर्वहन अत्यंत दक्षतापूर्ण संपादित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है तथा राज्य में विधि अनुसार कार्य का संचालन तथा प्रदेश में न्याय प्रशासन के उत्तरोत्तर वृद्वि हेतु विभाग कृत संकल्प है ।

12 भविष्य की योजनाऐं :—

1. प्रदेश के समस्त राजस्व जिलों को सिविल जिला बनाये जाने के संबंध में विभाग प्रयत्नशील है ।

2. राज्य के समस्त जिलों में परिवार न्यायालय की स्थापना किये जाने की दिशा में कार्य प्रगति पर है ।

3. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 के 61 पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग से निवेदन किया किया गया है । व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 के पदों को शीघ्र भरने हेतु विभाग प्रयत्नशील है ।

4. राज्य में 50,000/— रुपये से अधिक के व्यवहारवादों के निपटारे हेतु माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अधिकरण की स्थापना किये जाने हेतु विभाग प्रयासरत है ।